राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(वीआरएस–91)/2019/ दिनांकः–

आदेश

श्रीमती लता, चौहान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र झरडे जी की भाखरी, खण्ड फलौदी, जोधपुर जिनकी जन्मतिथि 01.05.1966 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 04.11.1988 है, को उनकी स्वंय की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत 01.10.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि 01.10.2019 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

इनके विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16/17 के अधीन कोई, विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(वीआरएस–91)/2019/1460 दिनांकः– 01.10.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी डायरी क्रमांक क्रमांक 3500/MMH/2019 दिनांक 26.09.19 की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 6410/PS/ACS/M&H/2019 दिनांक 23.09.2019 की अनुपालना में।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलौदी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर